



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-393/15 धारा- 394,353,332,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.दीपू सिंह पुत्र लाखन सिंह 2.सूर्य प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र शिवस्वरुप विश्वकर्मा निवासीगण उजनेड़ी थाना-ललपुरा, जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष का कारावास व 6,000-6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी राजेश कुमार
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 कम्बोद
सिंह



पैरोकार- थाना ललपुरा
का0 संजीत कुमार यादव